समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर (105)

R-3647-II/12

मुहम्मद गफ्फार तनय श्री चन्दू मुसलमान

निवासी बुद्धु चौराहा के पास अजयगढ जिला पन्ना (म.प्र.) ....आवेदक

//विरूद्ध//

1. रामकली पत्नि स्व. श्री शंकर कोंदर
2. आनन्दी तनय श्री सुखलाल अहिरवार (मृतक)
   (1) श्रीमति उज्जीबाई पत्नि स्व. श्री आनन्दी अहिरवार
   (2) रामनरेश तनय स्व. श्री आनन्दी अहिरवार
   निवासी ग्राम अमहा तह. अजयगढ जिला पन्ना म.प्र.
3. ललन तनय श्री शंकर यादव निवासी ग्राम धदारी, तहसील अजयगढ जिला पन्ना म.प्र. ...अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदिक न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला पन्ना के प्र.क्र 22/अ–21 वर्ष 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 24/09/2012 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका क्र. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के अंश भाग पर उसके पति शंकर कोंदर का कब्जा रहा है तथा अनावेदक क्र. 2,3 को पट्टा प्रदान किया गया था जिसके तहत विक्रय पत्र किये जाने से विवादित भूमि को शासन में दर्ज किया जाये ऐसी प्रस्तावित कार्यवाही पर आवेदक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये बिना उसके समक्ष में समुचित जांच कराये बिना लंबे अंतराल पश्चात् प्रस्तावित आदेश के तहत विवादित भूमि को शासन में दर्ज किये जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है ।
2. यह आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 3647/दो 12 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.9.16	1– आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव अनावेदक की ओर से अधिवक्ता अनिल चौबे उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर पन्ना के प्र.क्र.22/अ–21 वर्ष 2011–12 मे पारित आदेंश दिनांक 29/09/12 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि संहिता की धारा 165(7) ख, के अनुसार बिना कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के कोई पट्टेदार अपनी भूमि विक्रय नहीं कर सकता है, परंतु संहिता की धारा 158(3) में यह व्यवस्था दी गई कि पट्टेदार 10 वर्ष बाद भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपनी भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के भी कर सकता है। इस प्रकरण में प्रतिवेदन दिनांक 14.02.2012 के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की गई है अपर कलेक्टर द्वारा स्व.निग. के तहत क्रय सुधा भूमि को शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। जबकि पट्टा वर्ष 77–78 में दिया गया था और भूमि का विक्रय वर्ष 1990 में 10 वर्ष पश्चात् किया गया है। इसी बीच पट्टेदार को म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक 16–1/84/07/2ए दिनांक 9/2/84 को भूमिस्वामी अधिकार प्रदाय किए गए थे। इस कारण अंतरण वर्ष 77–78 कें बंटन पश्चात रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के अनुसार विक्रता को भूमि स्वामी हक प्राप्त हो गया था ऐंसी स्थिति में प्रस्तावित कार्यवाही एवं पारित आदेश उपरोक्त इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं है। 3– उन्होंने अपने तर्क में यह भी कहा है कि लगभग 22 वर्ष पूर्व किये गये विक्रय पत्र को शून्य किये जाने बावत् राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि क्रेता द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार	

निग 3647-II-12

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने वर्ष रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया नामांतरण आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है। 4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि शासकीय बंटन की भूमि को कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय नहीं किया जा सकता उन्होंने न्यायिक दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2002(2) पृष्ठ 480 मुलायत सींग विरूद्ध बुदुआ चमार का उल्लेख करते हुए कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा 165(7) के तहत रकवा 2.2 हे. का विक्रय कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना किए जाने से तथा आराजी नंबर 830 व 831 पर आवेदिका के पति का कब्जा रहने के कारण कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय दर्ज किए जाने में कोई त्रुटि नहीं की है इस कारण उन्होंने प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 5– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा वर्ष 77–78 में दिया गया था और भूमि का विक्रय वर्ष 1990 में किया गया है। जो 10 वर्ष पश्चात् लगभग 12 वर्ष बाद किया गया है ऐंसी स्थिति में पट्टेदार को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद किया गया अंतरण अवैध नहीं माना जा सकता। तथा अनावेदक की हैसियत शिकायतकर्ता के तहत शासकीय भूमि पर मात्र कब्जा किए जाने उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होते अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा पारित आदेश दि. 29.09.12 निरस्त किया जाकर आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख में पूर्वतः दर्ज किए जावे। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	